Order Sheet [Contd]

C.J.

Cases No..........of 20.....

Date of order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14.10.2022	आवेदक सहित श्री पवन मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित। थाना गौरझामर अपराध क. 239/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 इजाफा धारा 304ए भादसं में जप्तशुदा वाहन हुण्डई आई10 क. टीएन 07 ए क्यू 6886 के सुपुर्दनामा के संबंध में विरोध प्रतिवेदन सहित केस डायरी प्रस्तुत, आधार कार्ड, वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड मूल, प्रदूषण प्रमाण पत्र मूल, ड्राईविंग लायसेंस एवं बीमा की प्रतिलिपि संलग्न है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी। आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया। आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि, आवेदक/सुपुर्ददार का वाहन हुण्डई आई10 क. टीएन 07 ए क्यू 6886 को पुलिस थाना गौरझामर द्वारा उक्त प्रकरण में जप्त कर लिया गया है। आवेदक का उक्त वाहन निजी उपयोग हेतु रखे हुये है, जिसकी उसे आवश्यकता है। थाने में रख-रखाव के अभाव में थाना परिसर में खराब होने की संभावना है। आवेदक उक्त वाहन को सुपुर्दनामा पर लेना चाहता है, सुपुर्दनामा उपरांत वाहन खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। जप्तशुदा वाहन के प्रकरण में निराकरण में जब भी आवश्यकता होगी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगा। न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है और सुपुर्दनामा पर अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा। आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से बीमा की प्रति प्रस्तुत की है, मूल बीमा पेश नहीं। वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी ~~होना है~~। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा दिनांक 02.10.2022 को आवेदक मेरिन राज एम से घटना स्थल रानगिर तिराहा से चालक के साथ थाने लाकर थाना गौरझामर में जप्त की थी एवं साथ में आवेदक का ड्राईविंग लायसेंस मूल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र मूल जप्त किये गये हैं एंव बीमा की प्रति जप्त की गयी है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि, प्रकरण में विवेचना कार्यवाहीं पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है, ऐसे में जप्त वाहन के खुले स्थान पर प्रयोगहीन अवस्था में रखे रहने के कारण उसकी उपयोगिता कम होने एवं क्षति होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **<u>सुन्दर भाई अंबालाल देसाई विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए0आई0आर0 2003 एस0सी0-638</u>** के न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, किसी भी प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का व्ययन समुचित रूप से बिना विलंब के किया जाना चाहिये। अतः उपरोक्त के आलोक में आवेदक/सुपुर्दगीदार की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन पत्र बाद विचार स्वीकार कर आदेशित किया	M.N. [signature]

(... कौरव)

जाता है कि यदि **आवेदक की ओर से 8,00,000/—रूपए का सुपुर्दनामा** स्वयं का छायाचित्र युक्त एवं **8,00,000/—रूपये की स्थानीय सक्षम जमानत** निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत करे, तो उसे जप्तशुदा वाहन वाहन हुण्डई आई10 क. टीएन 07 ए क्यू 6886, वाहन के दस्तावेज रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लायसेंस को सुपुर्दगी पर प्रदान की जावे—

1— आवेदक उक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को न तो विकय करेगा, और न ही बंधक रखेगा और न ही उसके मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करेगा।

2— जब कभी न्यायालय या अन्वेषण अधिकारी आदेशित करे, तो स्वयं के व्यय पर उक्त वाहन को अविलंब प्रस्तुत करेगा।

3— आवेदक उक्त वाहन को आरोपित अपराध की प्रकृति के समान कोई भी अन्य अपराध कारित करने में प्रयोग नहीं करेगा या होने देगा।

4— आवेदक मूल प्रलेखों की सुपठित एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करे और उनके मिलान उपरान्त मूल प्रलेख आवेदक को वापिस कर प्राप्ति ली जावे व सुस्पष्ट एवं पठनीय छाया प्रतियां संलग्न हो।

सुपुर्दनामा प्रस्तुति हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

(श्रीमती प्राची कौरव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी, जिला सागर म0प्र0

आदेश प्राप्त

पुनश्चः

पक्षकार पूर्ववत।

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार मेरी राज एम.S/O मारकुस राज उम्र 38 वर्ष, निवासी 36 न्यू स्ट्रीट लेक कालोनी अम्बत्तूर चेन्नई द्वारा **8,00,000/— रूपए** की राशि हेतु स्वयं का फोटो चस्पा कर सुपुर्दनामा एवं स्वयं का बंधपत्र आदेश में वर्णित शर्तो सहित प्रस्तुत किया एवं साथ उक्त वाहन की जमानत जमानतदार माधव सिंह पिता शिवराज सिंह उम्र 31 वर्ष, नि० भैंसा तह. राहतगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

M. Mary Raj

केस डायरी प्राप्त

सुपुर्दगीदार की पहचान अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्रा द्वारा की गयी, सुपुर्दनामा बाद तस्दीक स्वीकार।

14.10.22

उक्त वाहन हुण्डई आई10 क. टीएन 07 ए क्यू 6886, वाहन के दस्तावेज रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लायसेंस का रिहाई आदेश जारी कर निर्देशित किया जावे कि सुपुर्दगी उपरांत सुपुर्दगी पावती न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे।

माधव सिंह

आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज वापस प्रदाय कर प्राप्ति ली जावे।

केस डायरी वापिस कर पावती ली जावे।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली संलग्न की जावे।

14.10.22

(श्रीमती प्राची कौरव)